फर्द अहकाम

श्योनारायण बनाम [illegible]

संख्या /वर्ष 5191 — 22 /2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
25/11/21	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय " अन्य राज कार्य में व्यस्त —" है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29/11/21 को पेश हो।	
29/11/21	पत्रावली आज दिनांक 29/11/2021 को पेश हुई। [illegible] बार एसो. [illegible] होने से पत्रावली [illegible] 2/12/2021 को पेश हो।	
2/12/2021	पत्रावली पेश हुई। व०क० उ०प०। कुर्रजात रिपोर्ट पूर्व में प्राप्त हो चुकी है। उभयपक्ष अधिवक्तागण ने बहस कुर्रजात हेतु समय चाहा गया ~~प्रमाण~~ न्यायहित में समय दिया जाता है पत्रावली वास्ते बहस कुर्रजात हेतु दिनांक 24/12/2021 को पेश हो। सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर	
24/12/2021	पत्रावली पेश हुई। व०क० उ०प०। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी। [illegible] ने कुर्रजात के आधार [illegible] किये जाने हेतु निवेदन [illegible] वादी तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रजात के आधार अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:02:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर आमेर, मु0 जयपुर
पीठासीन अधिकारी अपर्णा शर्मा (आर.ए.एस)
राजस्व वाद संख्या 22/2021/ दावा

वाद संख्या 22/2021 निर्णय दिनांक 24.12.2021

1. श्योनारायण पुत्र भूरा
2. शिशुपाल पुत्र भूरा

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम खोराबीसल आमेर जिला जयपुर। वादी

बनाम

1. नानूराम पुत्र जोधाराम।
2. भागचन्द पुत्र सीताराम
3. रामचन्द्र पुत्र सीताराम
4. सत्यनारायण पुत्र जोधाराम

समस्त जाति जाट ग्राम खोराबीसल तहसील आमेर

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 24.12.2021

मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता हैः–

1. शिशुपाल पुत्र भूरा हिस्सा 1/2 जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा सरना डूंगर क हिस्से में खसरा नंबर 174 रकबा 0.68 हक्टेयर व 172/1 रकबा 0.02 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में नारंगी व सफेद रंग से दर्शाया गया है।
2. श्योनारायण पुत्र भूरा हिस्सा 1/2 जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा सरना डूंगर के हिस्से में खसरा नंबर 173/3 रकबा 0.03 हैक्टेयर व खसरा नंबर 173/4 रकबा 0.1550 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में नारंगी रंग से दर्शाया गया है।
3. नानूराम पुत्र जोधाराम जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा सरना डूंगर के हिस्से में खसरा नंबर 171 रकबा 0.27 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल रकबा 0.27 हैक्टैयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है।
4. सत्यनारायण पुत्र जोधाराम जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा सरना डूंगर के हिस्से में खसरा नंबर 172 रकबा 0.06 हैक्टेयर व खसरा नंबर 173 रकबा 0.21 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.27 हक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:02:02 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार आमेर से प्राप्त [illegible] एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। ।

बसरख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 24.12.2021 को जारी किया ।

दस्तखत–––
ओहदा–––

सहायक कलेक्टर
आमेर, मु0 जयपुर

Scanned with CamScanner

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:02:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मुख्यालय जयपुर।
बइजलासः अपर्णा शर्मा आर.ए.एस

वाद संख्या 22/2021 निर्णय दिनांक 24.12.2021

1. श्योनारायण पुत्र भूरा
2. शिशुपाल पुत्र भूरा

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम खोराबीसल आमेर जिला जयपुर। वादी

बनाम

1. नानूराम पुत्र जोधाराम।
2. भागचन्द पुत्र सीताराम
3. रामचन्द्र पुत्र सीताराम
4. सत्यनारायण पुत्र जोधाराम

समस्त जाति जाट ग्राम खोराबीसल तहसील आमेर

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा अंतर्गत धारा 53,188 राज0 काश्त0 अधि0
बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय दिनांक 24.12.2021

उपस्थिति :– वादी अधिवक्ता श्री मोहनलाल जाट
प्रतिवादी अधिवक्ता श्री गौरीशंकर शर्मा

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र में अंकित किया गया हैं कि राजस्व गांव खोराबीसल पटवार क्षेत्र खोराबीसल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल, तहसील आमेर जयपुर स्थित कृषि भूमि खाता संख्या नया 139 पुराना 124 के खसरा नम्बर 171 रकबा 0.53 हैक्टेयर खसरा नम्बर 172 रकबा 0.08 हैक्टेयर खसरा नम्बर 173 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 174 रकबा 0.68 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 1.81 हैक्टेयर जिसमें वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 2 का हिस्सा 1/4, एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 हिस्सा 1/12, प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा 1/12, प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा 1/6 राजस्व रिकॉर्ड अनुसार जमाबंदी संवत 2076 से 2079 के अन्तर्गत दर्ज है।

वादीगण व प्रतिवादीगण ने वादअधीन भूमि का मौके पर भौमिक विभाजन कर रखा है। साथ ही वादीगण व प्रतिवादीगण अपनी अपनी भूमि को उपजाउ बनाकर भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। परन्तु वादअधीन भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में विभाजन नहीं होने के कारण आये दिन कठिनाई उत्पन्न हो रही है। प्रतिवादीगण मौके पर कब्जे काश्त अनुसार विधिक विभाजन करवाने हेतू हामी भरते है। अब प्रतिवादीगण की नियत में फितुर आ गया और वाद अधीन क[illegible] विधिक विभाजन करवाये बिना ही वादग्रस्त आराजी पर न[illegible] करने पर उतारू है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:02:02 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादपत्र पेश निवेदन किया गया है कि वादग्रस्त आराजीयात का कब्जे के मध्यनजर विधिक विभाजन किया जाकर वादीगण की खातेदारी का पृथक पृथक पर्चा लगान कायम किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

जावे कि बिना विधिक विभाजन के बैचान–हस्तातंरण एवं राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

वाद पत्र पेश होने पर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित होकर आपसी सहमती होना जाहिर किया। वादी अधिवक्ता द्वारा आपसी सहमति पत्र पेश किया।

हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का बगौर अवलोकन किया। विवादित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि है। जिसका विधिवत विभाजन नहीं कराया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत उभयपक्षों को विवादित भूमि का तकासमा कराये जाने का कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त है। अतः उभयपक्षों की सहमति के आधार पर विवादित भूमि खसरा नंबर हाल खाता संख्या नया 139 पुराना 124 के खसरा नम्बर 171 रकबा 0.53 हैक्टेयर खसरा नम्बर 172 रकबा 0.08 हैक्टेयर खसरा नम्बर 173 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 174 रकबा 0.68 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 1.81 हैक्टेयर वाके ग्राम खोराबीसल पटवार क्षैत्र खोराबीसल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल, तहसील आमेर जयपुर के विधिवत तकासमे हेतु वाद पत्र को प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया गया कि वे उभयपक्षों की उपस्थिति में विवादित भूमि का विधिवत तकासमा कर कुर्रेजात रिपोर्ट शीघ्र भिजवावें। पालना हेतु तहसीलदार आमेर को लिखा गया।

तहसीलदार आमेर ने अपने पत्र क्रमांक भूअ./2021/4272 दिनांक 13..083. 2021 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर भिजवाई है। कुर्रेजात रिपोर्ट पर वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता बहस सुनी गई दौराने बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण ने अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। तथा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है:–

1. शिशुपाल पुत्र भूरा हिस्सा 1/2 जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा सरना डूंगर क हिस्से में खसरा नंबर 174 रकबा 0.68 हक्टेयर व 172/1 रकबा 0.02 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में नारंगी व सफेद रंग से दर्शाया गया है।
2. श्योनारायण पुत्र भूर[illegible] जाति [illegible] खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल [illegible] शाख[illegible] सरना डूंगर के हिस्से में खसरा नंबर 173/3 [illegible] 173/4 रकबा 0. 1550 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में नारंगी रंग से दर्शाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:02:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

3. नानूराम पुत्र जोधाराम जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा सरना डूंगर के हिस्से में खसरा नंबर 171 रकबा 0.27 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल रकबा 0.27 हैक्टैयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है।

4. सत्यनारायण पुत्र जोधाराम जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा सरना डूंगर के हिस्से में खसरा नंबर 172 रकबा 0.06 हैक्टेयर व खसरा नंबर 173 रकबा 0.21 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.27 हक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है।

तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:02:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner